डिगरी व मुकद्दमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) मुकाम सिवाना (बाड़मेर) व

इजलास कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 37/2016

वादीगण :–

1. अभयसिंह पुत्र हेमसिंह जाति राजपूत निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. रूपसिंह पुत्र बादरसिंह जाति राजपूत
2. दरीया कंवर बेवा पीरसिंह जाति राजपूत निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बाडमेर
3. एसबीआई शाखा पादरू
4. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

दावा बाबत 53,188 रा.का.अधि.हेतु बंटवाडा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक : – 11.03.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दई व .... मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि भूमिधारक तहसीलदार सिवाना द्वारा राजस्व ग्राम पादरू पटवार मण्डल पादरू के खेत खसरा संख्या 797 रकबा 80.10 बीघा भूमि का प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर माफिक विभाजन प्रस्ताव निम्न प्रकार से अंतिम ड्रिकी पारित की जाती है :

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा नम्बर	रकबा (बीघा)	रकबा (हैक्टयर)	किस्म	लगान	रंग
1	अभयसिंह पुत्र हेमसिंह कौम राजपूत सा.देह खातेदार रहन एसबीआई शाखा पादरू	797	26.16	4.3382	धोरा	5.08	गुलाबी
	योग	1	26.16	4.3382	धोरा	5.08	गुलाबी
2	दरियाकंवर पत्नी पीरसिंह हि. 1/4 रूपसिंह पुत्र बादरसिंह हि. 3/4 कौम राजपूत सा.देह खातेदार रहन एसबीआई शाखा पादरू	797	53.14	8.6926	धोरा	10.21	पीला
	योग	1	53.14	8.6926	धोरा	10.21	पीला

भूमिधारक तहसीलदार सिवाना को निर्देश दिये जाते हैं कि राजस्व रेकर्ड में इसी प्रकार अमलदरामद कर अलग अलग खाता नम्बर अंकित किया जावे। संलग्न विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .11.03.2022 ..को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.04.09 13:51:45 IST
Reason: SelfAttested

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर (S.D.O)
सिवाना
दिनांक 16.03.22

क्रमांकः वाचक/2022/ 427
प्रतिलिपि : वास्ते पालनार्थ।
भूमिधारक तहसीलदार, सिवाना

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर (S.D.O)
सिवाना